न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/ 31)

1. ओम कंवर पत्नी स्व. जगदीशदान जाति चारण निवासी चारणवासी, तहसील व जिला चूरू।
2. महावीरदान पुत्र स्व. जगदीशदान जाति चारण निवासी चारणवासी, तहसील व जिला चूरू।
3. भैरूदान पुत्र स्व. जगदीशदान जाति चारण निवासी चारणवासी, तहसील व जिला चूरू।
4. गजेन्द्रदान पुत्र स्व. जगदीशदान जाति चारण निवासी चारणवासी, तहसील व जिला चूरू।
5. करणीदान नाबालिग पुत्र स्व. जगदीशदान जाति चारण जरिये कुदरती वली माता ओम कंवर पत्नी स्व जगदीशदान जाति चारण निवासी चारणवासी, तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्रसिह शिमला – अभिभाषक अपीलान्ट्स
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07.10.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 04.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध जिला कलक्टर चूरू में प्रथम अपील पेश उसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 04.04.2022 द्वारा अपीलान्ट्स की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट्स की पैतृक कृषि भूमि वाके रोही चारणवाली तहसील व जिल चूरू के खसरा संख्या 189/62 तादादी 1.9728 हैक्टर, खसरा संख्या 145/95 तादादी 1.1518 हैक्टर, खसरा संख्या 179/47 तादादी 1.7335 हैक्टर, खसरा संख्या 188/13 तादादी 1.6820 हैक्टर, कुल तादादी 4.5401 हैक्टर स्थित है। जिस पर अपीलान्ट्स पूर्वजो के समय से काबिज काश्त है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त भूमि पर तारबंदी कर बाड़ बना रखी है। अपीलान्ट्स के विरूद्व कुछ लोगो ने साजिस करते हुए शिकायत की गई कि अपीलान्ट्स के पास में स्थित रास्ते की भूमि व जोहड़ पाईतान की भूमि पर अतिक्रमी है, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बिना पेमाईश किये मनमर्जी से झूठी रिपोर्ट कर दी। तहसीलदार चूरू से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने अभिभाषक नियुक्त किया किन्तु अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में व्यस्त होने की वजह से समय नही दिया गया एवं जैसे ही प्रशासन गांवो के संग कैम्प बन्द हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए उनके निरूद्व निर्णय पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू के यहा अपील पेश की गई। जिला कलक्टर चूरू द्वारा भी अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलान्ट्स की अपील खारिज कर तहसीलदार का निर्णय यथावत रख दिया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 04.04.2022 जिला कलक्टर चूरू व आदेश दिनाक 29.10.2021 तहसीलदार चूरू निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट्स को उनके धारण की खातेदारी भूमि का कब्जा उन्हे वापिस दिलवाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा इस अपील के माध्यम से जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 04.04.2022 व

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 29.10.2021 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के धारण की खातेदारी भूमि का कब्जा उन्हे वापस दिलवाने का निवेदन किया है, जबकि मूलतः इस प्रकरण में ग्राम चारणवाली तहसील व जिला चूरू के खं. नं. 56 गै. मु. रास्ता एव खं. नं. 59 गै. मु. पायतन की भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमण हटाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के अनुसार निर्णय की पालना भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन हो जाती है। यदि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि से बेदखली के विरूद्व कोई अनुतोष चाहता है तो उसे सीमाज्ञान के आधार पर राजस्व वाद के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का उचित उपाय उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।